

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश

(अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत सृजित)

19, महर्षि दयानन्द मार्ग, प्रयागराज।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वेरीफिकेशन हेतु एक हाईपॉवर कमेटी का गठन किया गया है, जिसके आदेश के परिप्रेक्ष्य में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा एक पत्र दिनांक 27.09.2023 को अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं:-

1. यह कि माननीय उच्च न्यायालयों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वेरीफिकेशन फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है, वे केवल वेरीफिकेशन का फार्म-ई भरकर प्रेषित करेंगे।
2. दिनांक 31.12.1989 तक पंजीकृत अधिवक्तागण, जिन्होंने पूर्व में वेरीफिकेशन फार्म भरकर सी0ओ0पी0 अर्जित कर लिया था, उन्हें केवल सी0ओ0पी0 री-ईश्यू कराना ही आवश्यक है, जिसके लिए दो पन्ने का फार्म जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है, भरना आवश्यक है एवं फार्म के साथ शैक्षिक प्रमाण-पत्रों को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु वकालतनामा देना अनिवार्य है। दिनांक 31.12.1989 के बाद पंजीकृत अधिवक्ताओं को री-ईश्यू फार्म के साथ शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों (हाईस्कूल, इन्टर, स्नातक एवं एल0एल0बी0) की छायाप्रति भी देना आवश्यक है। यदि किसी अधिवक्ता द्वारा सी0ओ0पी0 प्राप्त ही नहीं किया गया है, तो उन्हें वेरीफिकेशन फार्म के साथ शैक्षणिक पत्र व वकालतनामा भी संलग्न करना अनिवार्य है।
3. यह फार्म पूर्ण करके अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव या सदस्य, बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रमाणित करवाकर कार्यालय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में जमा करना होगा। यदि आवेदक अधिवक्ता किसी भी बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं है, तो कारण स्पष्ट करें।
4. फार्म के साथ अधिवक्ता कोई एक प्रमाण, जैसे वकालतनामा, कॉजलिस्ट, केस-स्टेटस, आदेश, प्रश्नोत्तरी, नियुक्ति-पत्र (शासकीय व अर्द्धशासकीय अधिवक्ताओं हेतु), नोटरी-पत्र, ओथ-कमिश्नर नियुक्ति-पत्र, सेल डीड या अन्य कोई रजिस्ट्री पत्र, शपथ पत्र (शपथ पत्र के रूप में मात्र वे शपथ-पत्र मान्य होंगे, जो वाद के साथ सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा वादी/परिवादी के प्रमाणीकरण हेतु दाखिल किये जाते हैं), निर्णय, टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता द्वारा कोई ऐसा प्रमाण जिससे यह स्पष्ट हो कि अधिवक्ता विधि-व्यवसाय कर रहा है एवं किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति दाखिल कर सकते हैं।
(उपरोक्त प्रपत्र केवल 04 वर्षों, अर्थात् वर्ष 2018, 2019, 2021 एवं 2022 के संलग्न करें। कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 की छूट दी जाती है।)
5. यदि अधिवक्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामलों का वाद लम्बित हो अथवा किसी अपराधिक वाद में दण्डित हुआ हो अथवा हिस्ट्रीशीटर हो, तो उसका पूर्ण विवरण व वाद की वर्तमान स्थिति नोटरी शपथ-पत्र द्वारा उल्लिखित करें।
6. बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 250/- (रुपये दो सौ पचास मात्र) नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट B.C.U.P. Certificate And Practice Verification, payable at Prayagraj के रूप में स्वीकार किया जायेगा।
7. सर्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरीफिकेशन) फार्म, री-ईश्यू फार्म एवं डिक्लेरेशन फार्म की फोटोस्टेट प्रतियां भी मान्य हैं तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.upbarcouncil.com से सर्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरीफिकेशन) फार्म, री-ईश्यू फार्म एवं डिक्लेरेशन फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।

भवदीय


शिव किशोर गौड़,
अध्यक्ष, बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश।

Re-Issue/Verification Form
Certificate of Practice (COP)

Source: www.upbarcouncil.com

ALL ENTRIES SHALL BE MADE IN CAPITAL LETTERS
As per the Bar Council of India Rules
(Under the Advocates Act 1961)

Fix a passport
size photograph

Re-issue COP No. R (for office use)

1. NAME.....
2. FATHER'S NAME.....
3. PRESENT
ADDRESS.....
.....
..... PIN CODE:.....
4. ENROLLMENT Number U.P. Date of Enrollment.....
5. Date of Birth..... Mobile.....
6. Place of Practice
7. Old COP Number..... (Attach a photocopy of certificate & ID)
8. Name of Bar Association/place where you want to cast your vote in the Election of Bar
Association (District Headquarter),
(Munsif Court),
(Tehsil Court),
Any other Court
9. Place where you intend to cast your vote in the elections of State Bar Council
.....

10. Re-issue fees Rs.250/- in Cash.

I do hereby declare that all the information given above are true and correct, if any of the information is found to be false, then I will be liable to be prosecuted under the criminal law/ any law of State.

Recommended by

Signature of Candidate

Signature with Seal of President/Secretary/
Office-bearer of the Bar Association

Signature of Bar Council Member
(or the Authorized signatory of B.C.I.)

Date.....

Note:

1. One extra photograph to be attached.
2. Voting right shall be changeable after 3(three) years for concern advocate.
3. Bar Council reserves right to call all relevant documents for verification purposes on re-issue forms, if so necessary or required.

